an>

title: Need to recognize AADHAAR card as a certificate of citizenship.

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण इंडियन वोटर आईडी मानी गयी है।...(व्यवधान) यह मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के नागरिकों और पर्यटकों से ज्ञात हुआ है, जबकि भारत सरकार द्वारा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार-आम आदमी का अधिकार, में साफ-साफ लिखा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।...(व्यवधान) आधार देश भर में मान्य है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र को देश में नागरिकता पहचान पत्र मानने के बारे में नहीं दर्शाया गया है। लेकिन भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर भारत की नागरिकता का प्रमाण माना जाता है।...(व्यवधान)

महोदया, मेरा कहना है कि भारत सरकार ने आधार - आम आदमी का अधिकार में करोड़ों रुपये खर्च करके भारत के नागरिकों की बायोमैट्रिक परीक्षण कर फिंगर प्रिंट आदि लेकर आधार कार्ड निर्गत किए जाते हैं।...(व्यवधान) जबकि मतदाता पहचान पत्र में बायोमैट्रिक परीक्षण कर फिंगर प्रिंट आदि नहीं लिए जाते हैं। मतदाता की फोटो लेकर मतदाता पहचान पत्र निर्गत किए जाते हैं।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जैसे नागरिकता का प्रमाण वोटर आईडी है, इसी प्रकार से आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण का दर्जा दिया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग है।

माननीय अध्यक्ष :

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर,

श्री शरद त्रिपाठी,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

श्री मनोज राजोरिया, को श्री अंशुल वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।